Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चूरू में जोधपुर डिस्कॉम का वाणिज्यिक सहायक–द्वितीय एवं तकनीकी सहायक–द्वितीय 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *17 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चूरू इकाई द्वारा आज शुक्रवार को कार्यवाही करते हुये मुरारीदास वाणिज्यिक सहायक–द्वितीय (उपभोक्ता लिपिक) एवं मनीष कुमार तकनीकी सहायक–द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, उपखण्ड भानीपुरा, जिला चूरू को परिवादी से 20 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चूरू इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके कृषि विद्युत कनेक्शन शिफ्टिंग हेतु डिमाण्ड नोटिस जारी करने की एवज में मुरारीदास वाणिज्यिक सहायक–द्वितीय (उपभोक्ता लिपिक) द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी चूरू इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आनन्द प्रकाश स्वामी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये मुरारीदास वाणिज्यिक सहायक–द्वितीय (उपभोक्ता लिपिक) एवं मनीष कुमार तकनीकी सहायक–द्वितीय कार्यालय सहायक अभियन्ता, जोधपुर डिस्कॉम, उपखण्ड भानीपुरा, जिला चूरू को परिवादी से **20 हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपियों द्वारा रिश्वत राशि कार्यालय के समीप स्थित चाय वाले की थड़ी पर दिलवाई गई, जिसे बरामद कर लिया गया है।

एसीबी, बीकानेर के पुलिस अधीक्षक श्री गगनदीप सिंगला के निर्देशन में आरापियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** 1064 *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।